

**प्रेस नोट**  
**सराहनीय कार्य जनपद बागपत**

**दिनांक 30.12.2020**

- थाना बडौत पुलिस द्वारा बाद मुठभेड 04 लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 07 हजार रूपये, चोरी की एक मो0सा0 व अवैध 03 तमंचे मय कारतूस व एक चाकू बरामद।

➤ **गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता—**

- 1—गुल्लु पुत्र फरमान निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2—सारिक पुत्र महफुज निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3—ताजिम पुत्र महमूद निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4—सावेज पुत्र रियाजू निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरण—**

- 1—03 अदद तमन्चे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस।
- 2—01 अदद चाकू नाजाजय।
- 3—लूटे के 7000 रूपये मु0अ0सं0 1113/2020 धारा 394/411 भादवि से सम्बन्धित।
- 4—एक चोरी की मो0सा0 पेशन प्रो बिना नम्बर।
- 5—एक डिस्कवर मो0सा0 नम्बर यूपी 17—बी—5938

**घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—**

दिनांक 29.12.2020 को रात्रि समय करीब 23:20 बजे थाना बडौत पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बाद मुठभेड बडौली नहर पुल से 04 लूटेरे 1—गुल्लु पुत्र फरमान 2—सारिक पुत्र महफुज 3—ताजिम पुत्र महमूद 4—सावेज पुत्र रियाजू निवासीगण ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक चोरी की मो0सा0, अवैध 03 तमन्चे 315 बोर मय 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस, एक अदद चाकू बरामद हुऐ तथा चारो अभियुक्तों से मु0अ0सं0 1113/2020 धारा 394, 411 भादवि मे लूट की मो0सा0 को बेचकर षेष बचे रूपयों मे से 07 हजार रूपये बरामद किये गये है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बडौत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25.12.2020 को जंगल ग्राम इदरीषपुर मे महीपाल पुत्र नानकचन्द निवासी गुराना रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत से तमंचों के बल पर एक पल्सर मो0सा0 न0 यूपी—17आर—8772 व एक मोबाईल फोन लूट करने की घटना कारित की गई थी।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि लूट की पल्सर मो0सा0 हमने सोनीपत हरियाणा मे किसी व्यक्ति को 10 हजार रूपये मे बेच दी थी।

- **03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

---

**थाना बडौत-** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1123/2020 धारा 147, 148, 452, 324 भादवि में वांछित अभियुक्त 1-रजनीष पुत्र सुन्दरपाल सिंह 2-राजीव पुत्र सुन्दरपाल सिंह 3-नीतू पुत्र सुखपाल निवासी गण पट्टी खोब्बा ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बडौत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।